राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1528 / 2015.............................जिला...........सीकर..

उनवान – मैसर्स निकोन पावर इनफरा लि0, सीकर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री जे.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 7,50,000/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि उनके द्वारा आयातित माल भारत के बाहर से आयात के क्रम में है केवल भारत में उक्त माल पर प्रसंस्करण प्रक्रिया की गई है अतः उक्त माल राज्य के बाहर से आयात नहीं होने से इस पर वैट 47/47ए के प्रस्तुतीकरण की बाध्यता नहीं है। मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 7,50,000/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रकरण में वैट 47/47ए के प्रस्तुतीकरण की अनिवार्यता विवादित है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 7,50,000/– की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी	

लगातार.......2

अपील संख्या ....1528/2015...............................जिला...........सीकर..

उनवान – मैसर्स निकोन पावर इनफरा लि0, सीकर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2015	– 2 – व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश सुनाया गया। 28.9.2015 (मदन लाल) सदस्य	